वार्षिक रिपोर्ट

सत्र 2018–2019

शिवमंगल शिक्षण समिति

(कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश)

Website - www.shivmangalwel.org

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED ORGANISATION

Registered under Societies Registration Act - 1973(44) Redgistration No-1370 Date-23 May 2003,
CGState Women and Child Development department Raipur Reg –68-B/3436/wcd/sv/2010 Dt.-10 Dec 2010
IT Act 1961- 12a DATE-09-09-2008 & 80G(V)(I) DATE-17-10-2008,
F.C.R.A. Under Rssistration act 1976,REDG.DATE-31-07-2009
NGODARPAN-NITI AYOG,GOVT.OF INDIA,REGISTRATION NO.-CG/2018/0193813

–:पंजीकृत कार्यालय:–
डी/3, शिवमंगल भवन,
सोनगंगा कालोनी, पोस्ट–एस.ई.सी.एल.
सीपत रोड़, बिलासपुर, छत्त्तीसगढ़।

मोबाईल नम्बर–**09424142742**,
वाट्स अप नम्बर–**8319325403**
ई–मेल–smssociety@gmail.com, smss.jmourya@gmail.com

अध्यक्ष की कलम से.....

मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **शिव मंगल शिक्षण समिति, डी/3, सोनगंगा कालोनी, बिलासपुर**छ.ग. राज्य पंजीकरण अधिनियम **1973** (44) के अंतर्गत पंजीकृत स्वंयसेवी सामाजिक संस्था हैं । संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य है।जो कि नगरीय गरीब एवं ग्रामीण समुदाय के विकास, आय सृजन के लिये कौशल प्रशिक्षण लैंगिक असामानता दूर करने, सामाजिक न्याय एव शान्ति और सौहाद्र के लिए जनसहभागिता को प्रेरित करने हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील हैं।

मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **शिव मंगल शिक्षण समिति,** द्वारा 2003 से पंजीकृत वर्ष से ही लगातार संचालित हैं और प्रति वर्ष की तरह इस **वर्ष 2018–19** मे भी समिति ने अपने निर्धारित उद्दश्यों व लक्ष्यों के अनुसार समाज के उत्थान एवं मानव सेवा एवं समाज कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजन सफलता पूर्वक संचालित किया गया। बिलासपुर जिला सहित छत्तीसगढ राज्य के कई जिलो मे एक अलग छवि बनाते हुए पटल पर प्रस्तुत हुयी हैं। समिति द्वारा **वर्ष 2018–19 (1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) स्थायी कार्यक्रमो मे – (1) मानव तस्करी सहित व्यवसायिक यौन के व्यापार के शोषण के पीडितो के लिये महिलाओ एवं उनके बच्चो रोक के लिये जागरूकता एवं प्रदर्शनी, बचाव और पीडितो की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास के लिये उज्जवला सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह का लगातार संचालन, (2) "शासन की कल्याणकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार" (3) "वुद्वजन पुनर्वास योजना" का प्रचार प्रसार, (4) "डिजिटल इण्डिया योजना" का प्रचार प्रसार (5) "स्वच्छ भारत योजना" का प्रचार प्रसार (6) "बेटी बचाओ बेटी पडाओ योजना" का प्रचार प्रसार (7) "नशा मुक्ति योजना" का प्रचार प्रसार (8) "बाल संरक्षण योजना" का प्रचार प्रसार (9) "किशोर किशोरी परामर्श कार्यक्रम" का प्रचार प्रसार** का सफल संचालन किया गया है।

वर्तमान में **शिव मंगल शिक्षण समिति** जिला बिलासपुर एवं जिला मुंगेली के ग्रामीण अंचलो में लाभ वंचित/उपेक्षित समुदाय को राष्ट्रीय/राज्य सरकार,शासकिय/सरकारी कार्यक्रमो से जोडना और लाभ दिलाने का कार्य लगातार करते आ रही है। मानव तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण के व्यापार पीडित महिलाओ की सुरक्षा, संरक्षण, मौलिक आवश्यकताओ के सामानो की व्यवस्था, मानसिक उपचार, नशा मुक्ति, विधिक परामर्श एवं

सहायता सहित जागरूकता कार्यक्रमों को केन्द्रित करते हुए जनसमुदाय को प्रशिक्षण, जागरूक एवं शिक्षित करने की दशा में कदम बढ़ा रही हैं।

अंत में, मैं उन सभी सलाहकारों, स्वंयसेवकों तथा समस्त शुभचिन्तक सदस्य के सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सभी सदस्यों का लगातार संस्था की मुहिम सामाजिक उत्थान के लिये सहयोग मिलता रहेगा।

President
Shiv Mangal Sikshan Samiti
D/3 Songanga Colony
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष

Shivmangal Sikshan Samiti
Regd. Add.
D/3 Songanga
Colony
Regd. No. 1370/
23 May 2003
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2018–19

(1.) शासकिय योजनाओ का प्रचार प्रसार।

(2.)उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह) का संचालन

(3.)मानव तस्करी की रोकथाम के लिये बचाव, सुरक्षा, संरक्षण, जागरूकता कार्यक्रम का संचालन

(4.) बेटी बचाओ बेटी पढाओ जागरूकता कार्यक्रम

(5.) स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार प्रसार

(6.) डिजिटल इण्डिया का प्रचार प्रसार

(7.) वुद्व जन पुनर्वास कार्यक्रम का संचालन

(8.) नशा मुक्ति पुनर्वास कार्यक्रम का संचालन

(9.) क्षमता विकास कार्यक्रम

(10.) बाल संरक्षण कार्यक्रम

(11.) किशोर किशोरी केरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम

President
Shiv Mangal Sikshan Samiti
D/3 Songanga Colony
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष

Shivmangal Sikshan Samiti
Regd. Add.
D/3 Songanga Colony
Regd. No. 1370/
23 May 2003
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19

कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार :–

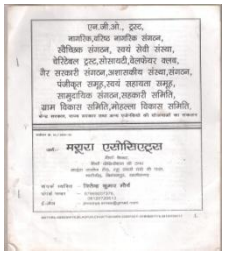

शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हर उम्र के पुरूषो,महिलाओ,बच्चो के लिए कोई न कोई योजना (एक से अधिक भी) निश्चित रूप से संचालित है, परंतु विडंबना यह है कि बरसों से संचालित ऐसी कई योजनाएँ हैं, जिनकी आम जनता को आज भी पूर्ण जानकारी नही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंतनीय है।योजनाओ के प्रचार प्रसार के लिए संस्था द्वारा स्वयं के वित्तिय संसाधनो से इस वर्ष भी योजना मार्गदर्शिका का प्रकाशन एवं वितरण किया गया

भारत सरकार के नीति आयोग सहित समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों की **वेबसाइट** में दर्ज योजनाओं तथा छत्तीसगढ राज्य शासन की ओर से प्रकाशित **"नरवा घुरवा गरूवा बारी"** की **गाईड लाईन** को आधार बनाकर, योजनाओं की सूची तैयार की गई। इसी आधार पर योजनाओं का जिसका प्रचार प्रसार एवं निशुल्क वितरण किया गया।

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी मंत्रीगण,विधायक गण, सांसद और जनप्रतिनिधियो तक इस पुस्तिका के माध्यम यह प्रयास किया गया कि शासन की कल्याण कारी योजनाएकी पहुंच धरातल तक हो सके बनाने संदेश दिया

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग,स्थानीय निकायजिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत के प्रमुख अधिकारी वर्ग एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियो को योजना मार्गदर्शिका निःषुल्क डाक से वितरीत कराया गया।

पंजीकृत संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ जिला प्रशासन एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कर्मचारी संगठनों, सामुदायिक संगठनो, स्वसहायता समूहों को पुस्तिका निःशुल्क डाक से वितरण कराया गया।

अन्य प्रदेशो एवं क्षेत्रों में सेवा भावी संस्थाओ की मांग के अनुसार मध्यप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि क्षेत्रों में भी निःशुल्क वितरण किया गया साथ ही साथ संस्था प्रशासनिक कार्यालय में योजना की जानकारी एवं पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

उज्जवला परियोजना

मानव तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण के वयापार पीडितो के बचाव,रोक, जागरूकता, पीडितो के सुरक्षा, संरक्षण सहित पुनर्वास का गृह

(1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक)

प्रगति प्रतिवेदन

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पोषित और छ.ग. राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के सहयोग से एवं कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर की अनुसंशा एवं भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की गाईड लाईन के अनुसार संस्था द्वारा बिलासपुर मे उज्जवला परियोजना के अन्तर्गत बचाव, रोक, जागरूकता कार्यक्रम, पीडितो के पुनर्वास सहित सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह का संचालन 2018–19 मे भी निरन्तर जारी रखा गया।

मानव तस्करी की रोक के लिये संवाद सम्पर्क एवं जुडाव

संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम **"उज्जवला परियोजना" पीडितो के पुनर्वास सहित सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह** के प्रचार प्रसार के लिये परियोजना के लिये नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा **नगरीय क्षेत्र** के थाना –सरकण्डा, थाना– सिविल लाईन, महिला थाना, थाना– तोरवा, थाना– तारबहार, सहित **नगर सीमा के बाहरी थाना** मे थाना– कोनी, थाना– चकरभाठा, थाना– सिरगिट्टी, थाना– सीपत, थाना– मस्तुरी, थाना– हिर्री थाना– तखतपुर, थाना– कोटा, थाना– रतनपुर, थाना– गौरेला पेण्ड्रा, सहित निकटतम जिला के थाना– मुंगेली, थाना– लोरमी, थाना– पामगढ, थाना–जांजगीर चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं हितग्राहियो /पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

संस्था की ओर से उज्जवला परियोजना के सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा नगरीय थाना मे थाना–सरकण्डा, थाना– सिविल लाईन, महिला थाना, थाना– तोरवा, थाना– तारबहार, सहित नगर सीमा के बाहरी थाना मे थाना– कोनी, थाना– चकरभाठा, थाना– सिरगिट्टी, थाना– सीपत, थाना–

मस्तुरी, थाना–हिर्री एवं थाना– तखतपुर, थाना– कोटा, थाना– रतनपुर, थाना– गौरेला पेण्ड्रा, सहित निकटतम जिला के थाना– मुंगेली, थाना– लोरमी, थाना–पामगढ, थाना–जांजगीर चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं हितग्राहियो /पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

संस्था द्वारा समय समय पर प्रति वर्ष अलग अलग क्षेत्रो मे निगरानी समूह का गठन किया जाता रहा है। संस्था के आंकलन के अनुसार पूर्व वर्ष उज्जवला गृह मे दाखिल पीडितो की संख्या सकरी, तारबहार एवं सिरगिट्टी क्षेत्र से पुनर्वास गृह मे पीडितो की दाखिला संख्या ज्यादा होने के आध्धर पर जोखिम क्षेत्र माना गया। संस्था के कार्यकर्ताओ द्वारा जोखिम क्षेत्र सकरी, तारबहार एवं सिरगिट्टी मे सजगता के लिये 3 निगरानी समूह का गठन,

कराया गया। संस्था द्वारा समय समय पर निगरानी समूहो की बैठक ली गई।

जागरूकता एवं प्रचार प्रसार

संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ताओ द्वारा बिलासपुर नगर मे यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, बुधवारी बाजार, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और हितग्राहियो /पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर मे उज्जवला परियोजना के संचालन का लक्ष्य, उध्देश्य, सहित सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह मे हितग्राहियो /पीडितो को दी जाने वाली सूविधाएं, व्यक्तिगत एवं मौलिक सूविधाएं,

भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित परामर्श और मानसिक उपचार की सूविधा सहित आय सृजन की गतिविधियो के लिये प्रशिक्षण, परिवारिक, सामाजिक विवाद के निपटारा के लिये परामर्श सहित विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था द्वारा सेवाभावी कार्यकर्ताओ द्वारा बिलासपुर नगर मे यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र उन सभी को बिलासपुर मे उज्जवला परियोजना के अन्तर्गत मानव तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण के व्यापार पीडितो के लिये बचाव, रोक, जागरूकता, सुरक्षात्मक पुनर्वास सहित सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह के संचालन का लक्ष्य, उध्देश्य की जानकारी दी गई।

उज्जवला सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह

संस्था द्वारा सीपत रोड लिंगियाडीह पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र के पीछे बिलासपुर मे उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास) गृह का संचालन जारी रहा। **उज्जवला गृह मे** पिछले वर्ष – 2017 – 2018 के शेष 31 मार्च 2018 की स्थिति में 1 अप्रेल 2018 को 25 पीडित आश्रय गृह मे उपस्थित रहे है। इस वर्ष 2018–19 मे पीडितो का नया दाखिला की संख्या–216 रहा है। 1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक मे नया दाखिला क्रमांक – 705 से 893 तक रहा। 31 मार्च 2018 को आश्रय गृह मे उपस्थिति संख्या– 25 रही है।

टेबल–1– दाखिला एजेन्सी का विवरण

टेबल नं.–4- दाखिल एजेन्सी का विवरण–2018–19		
01	चाईल्ड लाईन	02
02	सखी वन स्टॉप केन्द्र–शहडोल	01
03	सखी वन स्टॉप केन्द्र–महासमुन्द	02
04	सखी वन स्टॉप केन्द्र–बिलासपुर	03
05	सखी वन स्टॉप केन्द्र–धमतरी	03
06	नारी निकेतन करनाल	01

	हरियाणा	
07	छ.ग. राज्य मानसिक चिकित्सालय, बिलासपुर	44
08	घरेलू हिंसा सेवा प्रदाता, बिलासपुर	15
09	स्वाधार बिलासपुर	01
10	स्वाधार खण्डवा म.प्र	01
11	जी. आर. पी. थाना बिलासपुर	40
12	आर. पी. एफ. थाना बिलासपुर	08
13	चकरभाठा थाना बिलासपुर	01
14	सिविल लाईन थाना बिलासपुर	02
15	जी. आर. पी. थाना उस्लापुर बिलासपुर	01
16	सीपत थाना बिलासपुर	02
17	बिल्हा थाना बिलासपुर	01
18	कोनी थाना बिलासपुर	04
19	हिर्री थाना बिलासपुर	02
20	उतई थाना दुर्ग	01
21	मस्तुरी थाना बिलासपुर	02
22	सिरगिट्टी थाना बिलासपुर	06
23	सिटी कोतवाली थाना बिलासपुर	01
24	महिला थाना बिलासपुर	22
25	सरकण्डा थाना बिलासपुर	12
26	तारबहार थाना बिलासपुर	01
27	तोरवा थाना बिलासपुर	12
28	संस्था द्वारा बचाव बिलासपुर	19
29	जन प्रतिनिधि	01
30	समूह चर्चा	01
31	कल्याण कुंज	02
Total Bnefesiary-214		

टेबल–2– दाखिला उम्र के अनुसार –

टेबल नं.–1 दाखिला उम्र के अनुसार आंकडा –2018–19		
क्रमांक	उम्र का समूह	संख्या
01	00.–03	12
02	03.–06	04
03	06.–09	00
04	09.–18	12
05	18.30	102
06	30.–40	46
07	40.–50 से अधिक	38
पीडितो की कुल संख्या.–214		

टेबल–3– दाखिल पीडितो राज्य अनुसार विवरण –

टेबल नं.–2-राज्य अनुसार दाखिला का आंकडा 2018–19		
01	बिहार	06
02	झारखण्ड	04
03	उडिसा	03
04	मध्य प्रदेश	06
05	महाराष्ट्र	02
06	उत्तर प्रदेश	07
07	उत्तराखण्ड	01
08	तमिलनाडू	01
09	पश्चिम बंगाल	07
10	पंजाब	01
11	छत्तीसगढ	172
12	अज्ञात मूक बधिर	03
13	विदेशी मामला (बंगलादेश)	01
कुल दाखिल पीडित–214		

टेबल–4– छ.ग. मूल के पीडितो की जिलावार विवरण

टेबल नं.–3- छत्तीसगढ के दाखिल पीडितो का मूल जिला– जिला वार विवरण–2018–19		
01	रायपुर	01
02	बिलासपुर	71
03	दुर्ग	04
04	राजनांदगांव	02
05	जांजगीर चांपा	11
06	जशपुर	053
07	रायगढ	04
08	कोरबा	05
09	मुंगेली	20
10	सूरजपुर	03
11	कोरिया	09
12	महासमुन्द	03
13	धमतरी	02
14	कवर्धा	04
15	बलौदा बाजार	10
16	बेमेतरा	12
17	कांकेर	02
छत्तीसगढ मूल के पीडितो की संख्या–172		

टेबल–5– अन्य राज्यो दाखिल पीडिता मूल गृह जिला भेजा गया

टेबल नम्बर–5 माननीय जिला अतिरिक्त दण्डाधिकारी बिलासपुर के आदेश से मूल गृह जिला एवं राज्य मे पुलिस महिला बल के साथ अन्य राज्य भेजी गई विवरण–2018–19		
राज्य का नाम	जिला का नाम	संख्या
बिहार	गोपालगंज–1 रोहतास–1	02
झारखण्ड	लोहरदगा–2 लातेहार–1	03
उडिसा	सोनेपुर सुवर्णपुर–1	01

मध्य प्रदेश	बुढार–1	01
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद–1	01
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर–01 पूर्वी मेदिनीपुर–1	02
		कुल संख्या–10

टेबल–6 – मनोरोगियो को उपचार के लिये छ.ग. मानसिक चिकित्सालय मे दाखिला की स्थिति

टेबल नं.–6 अन्य राज्य एवं विदेशी मूल सहित दाखिल पीडितो का उम्र के अनुसार आंकडा –2018–19		
क्रमांक	उम्र का समूह	संख्या
01	00.–03	01
02	03.–06	00
03	06.–09	00
04	09.–18	02
05	18.30	21
06	30.–40	07
07	40.–50 से अधिक	08
पीडितो की कुल संख्या.–39		

टेबल नं.–7 माननीय न्यायालय की प्रक्रिया से मानसिक चिकित्सालय मे दाखिला उम्र के अनुसार आंकडा –2018–19		
क्रमांक	उम्र का समूह	संख्या
01	00.–03	00
02	03.–06	00
03	06.–09	00
04	09.–18	00
05	18.30	12
06	30.–40	03
07	40.–50 से अधिक	01
पीडितो की कुल संख्या.–16		

टेबल–7 – छ.ग. मूल दाखिल उम्र अनुसार विवरण –

टेबल नं.–8 छत्तीसगढ मूल की दाखिला उम्र के अनुसार आंकडा –2018–19									
क्रमांक	जिला का नाम	उम्र का समूह 00. –03	उम्र का समूह 03.–06	उम्र का समूह 06. –09	उम्र का समूह 09. –18	उम्र का समूह 18. –30	उम्र का समूह 30. –40	उम्र का समूह 40. से अधिक	कुल संख्या
01.	कोरिया	02	00	00	00	02	03	02	09

02.	कांकेर	00	00	00	00	02	00	00	02
03.	बिलासपुर	03	04	00	05	38	09	12	71
04.	मुंगेली	00	00	00	02	05	07	06	20
05.	बेमेतरा	00	00	00	00	08	03	01	12
06.	रायपुर	01	00	00	00	04	00	00	05
07.	राजनांदगांव	00	00	00	00	02	00	00	02
08.	रायगढ	00	00	00	00	03	01	00	04
09.	जांजगीर चांपा	01	00	00	03	02	01	04	11
10.	बलौदा बाजार	01	00	00	00	05	02	02	10
11.	कवर्धा	00	00	00	00	00	03	01	04
12.	दुर्ग	00	00	00	00	02	02	00	04
13.	जशपुर	00	00	00	00	03	01	01	05
14..	कोंरबा	01	00	00	00	02	02	00	05
15.	धमतरी	01	00	00	00	00	01	00	02
16.	सूरजपुर	00	00	00	00	01	01	01	03
17.	महासमुन्द	01	00	00	00	00	02	00	03
छत्तीसगढ मूल के पीडितो की उम्र अनुसार कुल संख्या.–172									

टेबल–8 – आश्रय गृह छोडने एवं पुनर्वास विवरण

टेबल नं.–9- आश्रय गृह छोडने वालो एवं पुनर्वास का विवरण –2018–19		
01	जिला अतिरिक्त दण्डाधिकारी बिलासपुर के आदेश से मूल गृह जिला एवं राज्य मे पुलिस महिला बल के साथ अन्य राज्य भेजी गई	10
02	जिला कार्यक्रम अधिकारी बिलासपुर आदेश से छ.ग. के मूल गृह जिला के अन्य आश्रय गृह संस्था कार्यकर्ताओ के साथ पहुॅचायी गई	23
03	माननीय न्यायालय की प्रक्रिया से मानसिक चिकित्सालय मे दाखिला	17
04	संस्था द्वारा सामाजिक एकीकरण	02
05	संस्था द्वार पारिवारिक एकीकरण	129
06	पुलिस विभाग का विभागीय जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण के लिये पुलिस विभाग को सौपी गई	07
07	सखी वन स्टॉप केन्द्र को सौपी गई	01
08	भाग गई	01
09	विदेशी मूल की नागरिक	01

कुल पीडित–191

टेबल–09 – छ.ग. मूल की पीडिता जिन्हे सखी वन स्टॉप केन्द्र पहुचा कर सौपा गया –

टेबल नं.–10- जिला कार्यक्रम अधिकारी बिलासपुर आदेश से छ.ग. के मूल गृह जिला के अन्य आश्रय गृह संस्था कार्यकर्ताओ के साथ पहुॅचायी गई गृह जिला का जिला– जिला वार विवरण–2018–19	
दुर्ग.	03
जांजगीर चांपा.	01
कोरबा.	02
रायपुर	01
कोरिया.	02
धमतरी	02
जशपुर	03
रायगढ	02
कांकेर	01
कवर्धा	02
सूरजपुर	01
बलौदा बाजार	03
छ.ग. के मूल गृह जिला के अन्य आश्रय गृह मे पहुॅचाकर पुनर्वासित पीडितो की संख्या–23	

टेबल–10 – परिजनो को किया गया पुनर्वास –

टेबल नं.–11- संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह मे दाखिल पीडितो का सीधे करीबी रक्त संम्बन्धियो को सौपेकर पुनर्वास पारिवारिक एकीकरण मूल जिला– जिला वार विवरण–2018–19		
01	बिलासपुर छ.ग.	54
02	रायपुर छ.ग.	03
03	कोरिया छ.ग.	08

04	राजनांदगांव छ.ग.	01
05	जांजगीर चांपा छ.ग.	08
06	कोरबा छ.ग.	03
07	रायगढ छ.ग.	04
08	बेमेतरा छ.ग.	10
09	महासमुन्द छ.ग.	02
10	रायगढ छ.ग.	02
11	बलौदा बाजार छ.ग.	04
12	जशपुर	02
13	सूरजपुर	01
14	मुंगेली	19
15	सागर म.प्र	01
16	कटनी म.प्र.	01
17	रीवा म.प्र	01
18	सीतामणी बिहार	01
19	सीलीगुडी पश्चिम बंगाल	01
20	हावडा पश्चिम बंगाल	01
21	शक्ति नगर उ.प्र.	01
22	सीतापुर उ.प्र.	01
23	पिथौरागढ उत्तराखण्ड	01
24	तरनतारन पंजाब	01
25	यवतमाल महाराष्ट्र	01
	योग	129
सामाजिक एकीकरण		
	बिलासपुर छ.ग.	01
	जांजगीर चांपा छ.ग.	01
	योग	02
परिवारिक एवं सामाजिक एकीकरण की संख्या–131		

टेबल–11 – 31 मार्च 2019 को आश्रय गृह मे उपस्थिति राज्य अनुसार

टेबल नं.–11- संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह मे दाखिल पीडितो की 31 मार्च 2018 को उपस्थित मूल जिला एवं राज्य अनुसार विवरण–2018–19		
01	मूक बधिर	02
02	बिलासपुर छ.ग.	07
03	राजनांदगांव छ.ग.	01

04	कांकेर छ.ग.	01
05	मुंगेली	01
06	रीवा म.प्र	01
07	आरा बिहार	01
20	नोदिया पश्चिम बंगाल	01
21	मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल	01
22	इलाहाबाद उ.प्र.	01
23	तमिलनाडू	01
24	जाजपुर उडिसा	01
25	चतरा झारखण्ड	01
	पाकुरा झारखण्ड	01
26	ठाणे महाराष्ट्र	01
		पीडितो की संख्या–23

टेबल–12 – आश्रय गृह मे पीडितो को प्रदत्त सूविधाये

टेबल नं.–12- उज्जवला गृह प्रबन्धन द्वारा पीडितो को दी गई प्रदत्त सूविधाओ का विवरण–2018–19		
01	मौलिक सूविधा भोजन	214
02	मौलिक व्यक्तिगत सूविधा	214
03	शिक्षा	25
04	प्रशिक्षण	82
05	सामान्य विधिक सूविधा	66
06	स्वास्थ्य चिकित्सा सिम्स	15
07	स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार	47
08	मनोपचार एवं नशा मुक्ति सूविधा	34
09	मानसिक रोग से पीडित जिनका	17

	दाखिला माननीय न्यायालय की प्रकिया से मानसिक चिकित्साय मे चिकित्सा के लिये भर्ती किया गया	
10	घरेलू हिंसा	03
11	न्यायलय प्रकरण मे अधिवक्ता सूविधा	04

टेबल–13 – पीडितो के पुनर्वास पश्चात फालो अप विवरण

Sl No.	**Mode of follow up**	**Number of beneficiaries**
1	Through direct visit to the place where beneficiary is residing	65
2	Through other organizations	10
3	Through telephone	97
4	Through other means THANA	19
	Total	**191**

वुद्वजनआश्रय और पुनर्वास योजनाओ का प्रचार प्रसारः–

संस्था द्वारा स्ववित्तिय साधनो से जिला बिलासपुर के झुग्गी बहुल चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत, बेदखल किये गये पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई।

उन सभी को बिलासपुर मे वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह एवं उनमे मिलने वाली सूविधाएं, भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह के लिये संस्था द्वारा नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत वृद्ध जन, बेदखल वृद्ध जन को वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह मे दाखिला दिलाने के लिये नगरीय एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओ से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत वृद्ध जन, बेदखल वृद्ध जन के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

नशा आश्रय और पुनर्वास योजनाओ का प्रचार प्रसारः–

संस्था द्वारा स्ववित्तिय साधनो से जिला बिलासपुर के नशा प्रेमियो के लिये चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे संस्था द्वारा संचालित **नशा मुक्ति केन्द्र एवं पुनर्वास गृह**कार्यक्रम की जानकारी दी गई प्रचार प्रसार किया गया।

संस्था की ओर से **नशा मुक्ति केन्द्र एवं पुनर्वास गृह** के लिये संस्था द्वारा नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा **नशा प्रेमियो** को समाज परिवार की मुख्य धारा मे **नशा मुक्ति केन्द्र एवं पुनर्वास गृह** मे दाखिला दिलाने के लिये नगरीय एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओ से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। **नशा प्रेमियो** के चिन्हित क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

"स्वच्छ भारत अभियान" प्रचार प्रसार

संस्था की अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ के प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार मौर्य एवं उनके सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता संस्था द्वारा से एक दिवसीय स्व्च्छता जागरूकता शिविर का आयोजन रायगढ में किया गया।

सर्वप्रथम संस्था की अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ के प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार मौर्य द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित एवं श्रीफल तोड़कर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात् प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं

संस्था के अध्यक्ष ने विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि ''यह स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम व्यक्तिगत, परिवार एवं समाज के लिये उपयोगी एवं आवश्यक है। आदि काल मे रचित वेद पुरान एवं सभी ग्रंथो मे स्वच्छता का महत्व बताया गया है। जहॉ स्वच्छता होती है वहॉ लक्ष्मी का वास होता है। स्वच्छता से स्वास्थ्य मिलता है व्यक्ति दीर्घायु होता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये आसंदी से संस्था सचिव द्वारा अपने ओजस्वी उद्‌बोधन में कहा कि ''आज के वर्तमान समय मे स्वच्छता परम आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता, घर एवं सार्वजनिक स्थलो की स्वच्छता आवश्यक है। हमारी आवश्यकता है।

"डिजिटल इण्डिया" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2018–19 मे पूरे वर्ष भर "डिजिटल इण्डिया" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्‌वीटर, वाट्‌सअप, ईमेल के माध्यम से पेटीएम, आधार लिंकेज, कम्प्यूटर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क, 100 ट्‌वीटर एवं 1000 वाट्‌सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

"स्वच्छ भारत अभियान" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2018–19 मे पूरे वर्ष भर "स्वच्छ भारत अभियान" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्‌वीटर, वाट्‌सअप, ईमेल के माध्यम से स्वच्छता संदेश, स्लोगन, प्रभावशाली संवादो के माध्यम से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो मे खुले मे शौच की रोकथाम, हर घर मे हो शौचालय, बहु बेटियो को खुले मे शौच के लिये ना भेजे, आदि संदेश मे माध्यम से लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क एवं 1000 वाट्‌सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

"बेटी बचाओ बेटी पढाओ" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2018–19 मे पूरे वर्ष भर "बेटी बचाओ बेटी पढाओ भारत अभियान" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, ईमेल के माध्यम से "बेटी है तो कल है", "बेटी पढेगी तो दो दो कुल का नाम गढेगी," "बेटिया ने देश का नाम उंचा करने मे पीछे नही" "बेटियो ने हिमालय मे भी भारत का झण्डा फहराया" "बेटियो ने आंतरीक्ष मे भी भारत का झण्डा फहराया" " "बेटियॉ पढेगी तो देश बढेगा" संदेश, स्लोगन, प्रभावशाली संवादो के माध्यम से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया। लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क, 100 ट्वीटर एवं 1000 वाट्सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

बेटी बचाओ - बेटी पढाओ
Beti Bachao-Beti Padhao

भारतीय परम्परा मे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणो से पुरूष प्रधान समाज की संरचना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव के कारणो महिलाओ को परिवार मे पुरूषो का नेतृत्व मे रहना पडता है, जिससे उन्हे परिवार मे पुरूषो अधीनस्थ स्थिति रही है। वंश की पहचान पुरूषो के नाम से जाना जाता रहा है। परिवार का नेतृत्व पितृसत्तात्मक है। विभिन्न चरणो मे देखा जाये तो पहले मे पिता पर आश्रित दुसरे मे भाई पर आश्रित तीसरे मे पति पर आश्रित चौथे मे पुत्र पर निर्भरता एवं महिलाओ पर उनका नियंत्रण रहा है। पिता, भाई,पति, पुत्र के नियंत्रण और उन पर निर्भरता के कारण परिवार एवं समाज मे महिलाओ की स्थिति दर्शाता है। कन्या का विवाह कर दुसरे अपरिचित एवं अनजाने परिवार मे भेजना, उसके शारीरिक अखण्डता पर नियंत्रण ही महिलाओ के अधीनता का स्पष्ट प्रमाण है। परिवार मे पुरूषो की स्थिति महान होती है। परिवार के समस्त महत्वपूर्ण फैसले जैसे बच्चे का जन्म, प्रसव से पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण के निर्णय भी पुरूषो द्वारा लिये जाते है जिससे कन्या भ्रुण हत्या को बढावा मिला। जो परिवार मे महिलाओ की मध्यम स्थिति के लिये जिम्मेदार है।

भारत मे पिछले 21 शताब्दी से पहले बाल लिंगानुपात मे भारी गिरावट दर्ज की गई। 21 वीं सदी के 1991 मे लिंगानुपात प्रति हजार 927 एवं 2001 प्रति हजार 933 दर्ज है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात 900 एवं शहरी बाल लिंगानुपात 946 देखा गया है।

कन्या जन्म से ही परिवार के लिये बोझ मानी जाती रही है उसे पराया धन मान कर उसकी इच्छा जाने बिना उसे चूल्हा चौका और घर गृहस्थी के काम मे लगा दिया जाता है। शादी के लिये योग्य वर की तलाश, वर द्वारा वधू पक्ष की हैसियत से अधिक दहेज की मांग की चिंता, इन सब कारणो से बेटियो का बोझ माना जाने लगा। उसके जन्म से दहेज एवं शादी के भारी खर्च की चिंता मे पिता को चिंता मे डाल देता है।

समाज एवं परिवार मे परम्परागत कारणो से बेटियो को पराया धन माना जाता है जिससे बेटियो की शिक्षा को अनावश्यक और फिजुल खर्च के रूप मे माना जाता है। परिवार मे शिक्षा लिंग के आधार पर होता है। सामाजिक मान्यता के अनुसार बेटो को उसकी इच्छानुसार शिक्षा दिलाया जाता है पर बेटियो को उसकी इच्छा जाने बिना उसे चूल्हा चौका और घरेलू काम के लिये बाध्य किया जाता है। के बडे होने परिवार की जरूरत के अनुसार उनके शादी की तैयारी करने मे जुट जाते है। सामान्य परिवार आर्थिक स्थिति बालिका शिक्षा मे बाधा भी एक कारण है।

सामान्यतः देखा गया है कि अधिकांश परिवार कृषि एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर होते है। कृषि के अलावा जीविकोपार्जन एवं अजिविका के स्थायी श्रोतो की तलाश मे परिवार के पुरूष सदस्यो को पलायन करना पडता है। पुरूष श्रम की कमी के कारण घर मे महिलाओ एवं बच्चो को खाना पकाने के अलावा कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण, छोटे बच्चो की देखरेख, पालतू जानवरो की देखभाल एवं घरेलू कामकाज मे भागीदारी निभानी पडती है। कृषि कैलेण्डर मे धान उत्पादन मे महिलाओ की भूमिका दर्शाता है। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रो मे खेत की जोताई एवं बीजा बोने एवं रोपण का कार्य पुरूषो द्वारा किया जाता है आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार की महिलाएं को छोड दे तो यह माना जाता है कि उसके बाद के समस्त कार्य महिलाओ द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। आर्थिक रूप से गरीब परिवार की महिलाओ को स्वयं के भूमि के अलावा दुसरो के भूमि पर भी मजदूरी करना पडता है।

इन सब क्रिया कलापो के बाद भी समाज मे महिलाओ की भूमिका मध्यम दर्जे की रही है। महिलाओ द्वारा परिवार चलाने मे बडी महत्वपूर्ण भागीदारी के बाद भी कन्या जन्म को व्यक्ति बोझ समझकर गर्भस्थ बच्चे का लिंग परीक्षण करवाता है और कन्या भ्रूण की पहचान होने पर उसका परहेज करता है। जो लैंगिक भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण है।

"किशोर किशोरी केरियर परामर्श" कार्यक्रम

संस्था द्वारा स्ववित्तिय साधनो से जिला बिलासपुर के करगीरोड कोटा मे नाकां के पास एक दिवसीय "किशोर किशोरी केरियर परामर्श कार्यक्रम" आयोजन किया गया।

करगी रोड कोटा तहसील के अन्तर्गत **ग्रामीण क्षेत्रो** मे **छोटे करगी बडे करगी लिटिया गोबरीपाट धूमा तेन्दंआ बरद्वार नेवसा पण्डाकापा धनरास पीपरतराई मटसगरा अम्लीकापा आदि**, मे बिलासपुर की सामाजिक कार्यकर्ता छत्तीसगढ के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार मौर्य एवं श्रीमति उषा भारद्वाल और उनके सहयोगियो के सहयोग से आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे संस्था द्वारा आंकलन मे पाया गया कि इस क्षेत्र मे **किशोर किशोरीयो को जीवन कौशल की कमी एवं अपने भावी जीवन से अन्जान है।**

संस्था की ओर से **"किशोर किशोरी केरियर परामर्श" कार्यक्रम का एक दिवसीय जिला बिलासपुर के करगीरोड कोटा मे नाकां के पास श्रीमति उषा भारद्वाज के निवास पर आयोजन** किया गया।

इस कार्यक्रम मे लगभग 47 किशोर किशोरियो को जीवन कौशल एवं केरियर मार्गदर्शन किया गया।